उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1429/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.243-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(301)-2023

लखनऊः दिनांकः ३। अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 54 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-846/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(13)-2017 दिनांक 30-06-2017, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैरा में, शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक "केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 के मद 5 के उप-मद (ख) में निर्दिष्ट" है के स्थान पर शब्द "एक प्रक्षेत्र, भवन या उसके एक भाग का निर्माण, जो क्रेता को पूरी तरह या आंशिक रूप से बिक्री के लिए है, जहां सेवा के प्राप्तकर्ता से ली गई राशि में यथास्थिति भूमि का मूल्य या भूमि का अविभाजित अंश शामिल है, सिवाय इसके कि संपूर्ण प्रतिफल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् जहां अपेक्षित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या पहले उसके द्वारा अधिभोग के पश्चात् जो भी पहले हो, प्राप्त हो गया हो", रख दिये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव